क्रमांक 1411-2 जी:एस: I-74/6961

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 27 मार्च, 1974 ।

विषय :—क्लर्कों तथा टाईपिस्टों के पदों पर भर्ती ।

---

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1265-2 जी: एस:-II-73/781, दिनांक 27-3-73 में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं जिनमें कि यह कहा गया था कि विभागाध्यक्षों को चाहिए कि वे टाईपिस्टों तथा कलर्कों की संगठित मांग तैयार करके अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल को भेजा करें और साथ ही मण्डल को ऐसे पदों की संख्या, यदि कोई हो, सूचित की जाए जिन्हें हिन्दी या अंग्रेजी टाईप जानने वाले कलर्कों से भरा जाना हो ताकि तदनुसार भर्ती की जा सके ।

2. इस मामले पर आगे विचार किया गया है कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी विभागों में भर्ती किए गए लिपिकों को टाईप का ज्ञान हो । टाईप का ज्ञान लिपिकों के लिए एक लाभदायक योग्यता है । टाईप जानने वाले लिपिक तथा सहायक अपने नोटिस टाईप करके प्रस्तुत कर सकते हैं और छोटे-मोटे पत्र आदि भी स्वयं टाईप कर सकते हैं । अतः इस बारे में यह उचित समझा गया है कि भविष्य में जो लिपिक भर्ती किए जाएं उनके लिए हिन्दी या इंगलिश की टाईप का ज्ञान होना जरूरी करार दिया जाए और विभागों द्वारा अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को लिपिकों के बारे में जो मांग-पत्र भेजे जाएं उनमें यह स्पष्ट रूप में बताया जाए कि जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की जाए उन्हें हिन्दी या इंगलिश की टाईप का ज्ञान जरूरी होना चाहिए । अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल केवल उन उम्मीदवारों के ही नामों की सिफारिश करेगा जिन्होंने टाईप का निर्धारित टैस्ट पास किया हुआ होगा । यदि मण्डल पहली बार में टाईप जानने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न कर सके तो यह मैरिट के आधार पर उन उम्मीदवारों की भी सूची तैयार करेगा जो टाईप का टैस्ट पास नहीं कर सके परन्तु लिपिक के पद के लिए योग्य हैं । ऐसे उम्मीदवारों को 6 मास के अन्दर-अन्दर टाईप का टैस्ट पास करने का दूसरा मौका मण्डल द्वारा दिया जाएगा । यदि ऐसे उम्मीदवार निर्धारित टाईप का टैस्ट पास कर लेते हैं तो उनके नामों की सिफारिश विभागों को की जा सकेगी । इसलिए इस व्यवस्था को लागू करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि राज्य के सभी विभागों द्वारा श्रेणी-II (Ministerial) नियमों में लिपिकों की भर्ती के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाए ।

"Knowledge of typing in Hindi or English at the speed of 25 and 30 words per minute respectively would be a necessary qualification for the post of Clerk".

3. इस संशोधन के बारे में अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, विधि विभाग तथा वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली गई है और इस संशोधन का अनुमोदन मन्त्रिपरिषद् से भी करवा लिया गया है । इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि सभी विभाग अपने-अपने सम्बन्धित सेवा नियमों में तदनुसार संशोधन, नोटिफिकेशन विधि विभाग से वैट (wet) करवाने के बाद, कर लें और भविष्य में इस संशोधन के अनुसार ही कार्यवाही की जाए ।

4. कृपया इन हिदायतों की पावती भेजी जाए ।

हस्ता/-

वीरेन्द्र नाथ

उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं.